चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/ 480
दिनांक:- 30.10.2004

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन,
सिवाया, रूड़की रोड,
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./5433/जी.एस. दिनांक 05.10.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) तथा संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के परन्तुक के अधीन **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ** को स्नातक स्तर पर बी0ए0-बी0एड0 एवं बी0एल0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में पैंतीस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी चार वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठ** को स्नातक स्तर पर बी0ए0-बी0एड0 एवं बी0एल0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में पैंतीस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी चार वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगें, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

Received & Read on 1/11/2004

कुलसचिव

C:\PUNIT\AFFIL_L.PM5

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 2250
दिनांक : 6/11/09

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन,
एन0एच0–58, सिवाया, रूड़की रोड,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–2540 / सत्तर–2–2009–2 (576) / 2008, दिनांक 30.09.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, एन0एच0–58, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ** को **बी0ए0बी0एड0** एवं **बी0एल0एड0** पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 35 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **सत्र 2008–2009 से सम्बद्धता विस्तरण** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **भगवती कालेज ऑफ एजूकेशन, एन0एच0–58, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ** को **बी0ए0बी0एड0** एवं **बी0एल0एड0** पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 35 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **सत्र 2008–2009 से सम्बद्धता विस्तरण** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

(वी0के0 सिन्हा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(वी0के0 सिन्हा)
कुलसचिव